

क्रमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06

जयपुर, दिनांक : 11 फरवरी 2010

परिपत्र

प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करने की दृष्टि से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 राज्य में दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से लागू है। यह अधिनियम सूचना के इच्छुक नागरिक-वर्ग को निर्धारित समय सीमा में वांछित सभी सूचनाओं (जो हों) को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करता है।

2. यतः सूचना की पारदर्शित होना आवश्यक है और राज्य सरकार की संवेदनशील एवं सुशासन की घोषित नीति के अनुरूप आम जनों को वांछित जानकारी सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध कराना आवश्यक है। परन्तु यह देखने में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा अपनी वेबसाइट एवं विभिन्न प्रकाशनों में उपरोक्त वर्णित सूचनाएं पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण आम जन द्वारा काफी सूचनाएं (सामान्य प्रकृति की) मांगी जा रही हैं। यदि अधिनियम की धारा 4 (1) की सहधारा (ख) के तहत पूर्व में ही सुनिश्चित कर दिया जाय तो अनावश्यक परिश्रम से बचा जा सकता है।

3. अतः प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) में प्रावधित/उल्लिखित निम्न सूचनाओं का प्रकाशन एवं अद्यतन (अपडेट) किया जाना अपेक्षित है:-

- (i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;
- (ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
- (iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही की प्रणाली सम्मिलित है;
- (iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा स्थापित सन्धियम;
- (v) अपने द्वारा रखे गये या उसके नियंत्रण के अधीन के या उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावलियां और अभिलेख;
- (vi) दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण जो उसके द्वारा या उसके नियंत्रण के अधीन रखे जाते हैं;
- (vii) किसी ऐसे इन्तजाम की विशिष्टियां जो उसकी नीतियों के बनाये जाने या उनके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हो;
- (viii) अपने भाग के रूप में या उसे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठित दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य

DCE
MS
15/2/10

16/2

95/16/2
16/2

निकायों का और इस बारे में कि आया उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता की पहुंच में हैं, विवरण;

- (ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका;
- (x) अपने विनियमों में यथा-उपबंधित प्रतिकर प्रणाली को सम्मिलित करते हुए अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक;
- (xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों की और किये गये सवितरणों की रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपनी प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित बजट;
- (xii) सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित रकम और ऐसे कार्यक्रमों के हिताधिकारियों का ब्यौरा सम्मिलित है;
- (xiii) अपने द्वारा दी गयी रियायतों, परमितों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां;
- (xiv) उसको उपलब्ध या उसके द्वारा धारित सूचना, जो इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखी गयी हो, के बारे में ब्यौरा;
- (xv) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें पुस्तकालयों या अध्ययन कक्षों, यदि जनता के उपयोग के लिये रखे जाते हैं, का कार्यसमय सम्मिलित है;
- (xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;
- (xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाये;

4. सामान्यतया यह देखा गया है कि विभाग में पदाभिहीत अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय निर्णय की अनुपालना के प्रति सम्बन्धित विभाग के पदाधिकारीगण दृष्टिकोण एवं क्रियान्विति के प्रति गंभीर नहीं होते व परिणामस्वरूप अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के तहत राहत पाने के लिये राज्य सूचना आयोग में परिवाद प्रस्तुत करने को बाध्य हो जाते हैं। अपीलीय आदेश की अनुपालना हो जाने से परिवादी को स्वतः ही राहत मिल जायेगी।

5. अतः पुनः व्यादिष्ट किया जाता है कि इन निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।



(डा० अशोक सिंघवी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं विकास आयुक्त ।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ट शासन सचिवगण को भेजकर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों/विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से जारी करें ।
6. प्रमुख शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग, राज0 जयपुर को भेजकर निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ बोर्ड, निगमों एवं मंडलों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से जारी करें ।
7. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान परिसर, जेएलएन मार्ग, जयपुर ।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार कराए जाने का श्रम करें ।
9. समस्त शासन उप सचिवगण ।
10. रक्षित पत्रावली ।

(हंसा सिंह देव)

उप शासन सचिव